रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 910] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 910] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ. 1022(अ).—बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारुप अधिसूचना, जिसको केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वैसी ही अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूची में कतिपय परिसंकटमय अधिभोग या प्रक्रियाओं को जोड़कर या लोप करके, ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देकर अधिसूचित करती है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती हैं और जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीन महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

आक्षेप और सुझाव, जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाते हैं, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

1. बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की अनुसूची में, कोष्ठकों, अंकों और शब्दों-

"(1) खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक।

(3) परिसंकटमय प्रक्रियां।"

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"खण्ड क

परिसंकटमय व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं जिनमें कुमारों का काम करना तथा बालकों का मदद करना निषेध है

(1) **खानें और कोलियरी** (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इनसे संबंधित कार्य,

(क) पत्थर खानें;

(ख) ईंटों की भट्ठियां;

(ग) इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सिलिका या भूमि से उत्कर्षित कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन, पिसाई, कटाई, विपाटन, पोलिश करना तथा प्रहस्तन शामिल है; अथवा

(घ) खुले गड्ढे की खानें।

(2) **ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे-**

(क) पटाखे;

(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री, लादना, उतरना;

(ग) उत्पादन, प्रहस्तन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में ढालना, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से संबंधित कार्य तथा अन्य कोई प्रक्रिया से संबंधित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों; अथवा

(घ) ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उनके उप-उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन।

(3) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट '**परिसंकटमय** प्रक्रियाएं' और नीचे उल्लिखित:-

उद्योगों की सूची जिनमें परिसंकटमय प्रक्रियाएं अन्तवर्लित हैं:

(क) लौह धातुकर्म उद्ययोग

(i) समकलित लोहा और इस्पात;

(ii) लौह-मिश्र धातु

(iii) विशेष इस्पात

(ख) अलौह धातुकर्म उद्योग : प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनिज और अल्मुनियम ।

(ग) ढलाईसाल (लौह और अलौह): कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा चिकना करना अथवा रेत और शॉट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदरा बनाना

(घ) कोयला (कोक सहित) उद्योग:

(i) कोयला, लिग्राहट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ;

(ii) इंधन केसेस (कोयला गैस, उतपादक गैस, जल गैस सहित)

(ङ) विद्युत उत्पादन उद्योग

(च) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग

(छ) उर्वरक उद्योग

(i) नाइट्रोजनयुक्त

(ii) फॉस्फेटिक

(iii) मिश्रित

(ज). सीमेंट उद्योग: पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पॉजजोलाना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित)

(झ) पैट्रोलियम उद्योग:

(i) तेल शुद्धिकरण परिष्करण

(ii) स्नेहन तेल और ग्रीस

(ञ) पेट्रो-रसायन उद्योग

(ट) दवा और औषधीय उद्योग-मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स

(ठ) किण्वन उद्योग (आसवन और मद्य निर्माणशाला)

(ड) रबड़ (सिंथेटिक उद्योग)

(ढ) पेंट और पिगमेण्ट उद्योग

(ण) चमड़ा उद्योग

(त) इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग

(ध) रसायनिक उद्योग

(i) कोक ओवन गौड उत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद,

(ii) उद्योगिक गैसे (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसेटेलिन, ओर्गन, कार्बन डाईआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस;)

(iii) औद्योगिक कार्बन

(iv) क्षार और अम्ल

(v) क्रोमेट्स और डीक्रोमेटस;

(vi) शीशा और इसके यौगिक पदार्थ

(vii) इलैक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटैशियम ओर मैग्नेशियम, क्लोरेट्स, पराक्लोरेट्स और पैरोक्साइड्स)

(viii) इलेक्ट्रोथरर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक), कैलशियम कारबाइड)

(ix) नाइट्रोजन कम्पाउड (साइनाइड, साइनामाइड्स और नाइट्रोजन यौगिक पदार्थ

(x) फोरफोरस ओर इसके यौगिक पदार्थ;

(xi) हेलोजन्स और हेलोजीकृत यौगिक पदार्थ (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन)

(xii) विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटको और डिटोनेटर और फ्यूज सहित)

(द) कीट नाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाईयों के उद्योग

(ध) संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक

(न) मानव निर्मित फाइवर (सेल्यूलोसिक और गैर सैल्यूलोसिक)उद्योग

(प) विद्युत एक्यूम्यूलेटरों का विनिर्माण और मरम्मत

(फ) शीशा ओर सिरेमिक

(ब) धातुओं की घिसाई या चमकाना

(भ) एसबेसटोस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण

(म) वानस्पतिक और पशु स्त्रोतों से तेल और वसा की निकासी।

(य) बेनजीन और बेनजीन निहित पदार्थों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रयोग

(कक) कार्बन डाईसल्फाइट में संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन।

(खख) डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम

(गग) अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें

(4) परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची-I के भाग-II में यथाविनिर्दिष्ट जोखिम रसायन की प्रहस्तन और प्रकमण में निहित प्रक्रिया है।

(5) बूचडखानों और कसाईखानों में कार्य

(6) रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रभाव में डालने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाएं

(7) पोत विभंजन;

(8) नमक खनन या नमक बनाने का कार्य;

(9) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 की अनुसूची-ix में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाएं।

भाग–ख

अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची जहां परिवार अथवा पारिवारिक उद्यम में बालकों की सहायता के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है (भाग क के अतिरिक्त)

व्यवसाय (गैर-औद्योगिक कार्यकलाप)

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय-

(1) रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना;

(2) रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;

(3) रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है;

(4) रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;

(6) अस्थाई लाइसेन्स प्राप्त दुकानों में पटाखों और आतिशबाजी का सामान बेचने से संबंधित कार्य;

(7) ओटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;

(8) हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग;

(9) प्लास्टिक इकाइयाँ एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;

(10) घरेलू कामगार अथवा नौकर;

(11) ढाबे (सड़क किनारे की खाने-पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट, अथवा

(12) गोताखोरी।

(13) सर्कस में कार्य।

(14) हाथियों की देखभाल।

(15) विद्युतचालित बेकरी मशीन, अथवा

(16) जूता निर्माण

प्रक्रियाएं (औद्योगिक कार्यकलाप)

(1) बीड़ी बनाना

(2) कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है

(3) सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक

(4) कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है

(5) अभ्रक काटना और उसके टुकड़े (विखण्डन) करना

(6) लाख/शीलैक विनिर्माण

(7) साबुन बनाना

(8) ऊन की सफाई;

(9) भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना तथा ढुलाई एवं संग्रहण, बढ़ईगिरि, राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;

(10) स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);

(11) अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य;

(12) सीसा, मैंग्नीज, पारा, क्रोमियम, कैडमियम, बैंजीन, कीटनाशक और एसबेस्टस जैसे जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं;

(13) काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया;

(14) इलैक्ट्रोनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने(सोल्ड्रिंग) की प्रक्रिया

(15) 'अगरबत्ती' का निर्माण;

(16) आटोमोबाईल मरम्मत और रख-रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है, वैल्डिंग इकाइयाँ लेथवर्क डेन्टिंग एवं पेन्टिंग;

(17) ईंटों या खपरैलों का निर्माण;

(18) रूई सूत की ओटाई और इसे दबाना, हौजरी का सामान बनाना;

(19) डिटरजेंट का निर्माण;

(20) फैबरिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नान फेरस);

(21) रत्न तराशना और उनकी पालिश करना;

(22) क्रोमाइट और मैंग्नीज अयस्कों का रख-रखाव;

(23) जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण;

(24) चूना भट्टा और चूना निर्माण;

(25) ताला बनाना;

(26) ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड की वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण(हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों मे सीसे का दाहन, खान सीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;

(27) सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना;

(28) काँच, कॉच के वर्तनों का निर्माण जिसमें चूड़ियाँ टयूबों, बल्व तथा इसी प्रकार के अन्य कॉच उत्पाद शामिल हैं;

(29) रंजक (डाई) और रंजक द्रव्यों का निर्माण;

(30) कीटनाशकों का निर्माण और उनका रख-रखाव;

(31) इलैक्ट्रानिक उद्योग में जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण जिसमें धातु साफ करना, फोटो उत्कीर्णन तथा टांका लगाना शामिल है;

(32) जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण;

(33) खेल-कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;

(34) तेल की पिराई और परिष्करण;

(35) कागज बनाना;

(36) चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग;

(37) पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है;

(38) ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहाँ फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है;

(39) आरा मिल- सभी प्रक्रियाएं;

(40) रेशम उद्योग;

(41) चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं;

(42) तम्बाकू प्रसंस्करण जिसमें तम्बाकू का पेस्ट (लेई) बनाना तथा किसी भी रूप में उसकी उठाई धराई शामिल है;

(43) टायर निर्माण, मरम्मत, री-ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण;

(44) बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना;

(45) 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी (सभी प्रक्रियाएं);

(46) ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुडी प्रक्रिया;

(47) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना;

(48) हीरों की कटाई और पालिश;

(49) कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना;

(50) मशीनीकृत मछली पालन;

(51) खाद्य प्रसंस्करण;

(52) पेय पदार्थ उद्योग;

(53) मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पैंकिंग करने का कार्य;

(54) लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई;

(55) लकड़ी की यांत्रिक कटाई;

(56) भंडारागार कार्यकलाप;

(57) **मसाज पार्लर** जिमनेजियम अथवा अन्य मनोरंजक अथवा मेडिकल सुविधाएं केन्द्र;

(58) खतरनाक मशीनों के निम्नलिखित वर्गों से संबंधित प्रचालनों में –

(क) उत्तोलक एवं लिफ्ट

(ख) मशीनों को चढ़ाने, चैनों, रस्सियों एवं उत्तोलक विधि से जुड़ा कार्य

(ग) घूमने वाली मशीनें

(घ) विद्युत प्रक्रिया

(ड) मेटल ट्रेड से ज़डे मशीने टूल्स

(च) गिलोटिन मशीनें

(59) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उप-खंड (iv) में मुद्रण के अनुसार अर्थात छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रैस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेवर अथवा अन्य समान प्रक्रिया अथवा बुक बाइंडिंग का कार्य"।

II. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगी।

[फा. सं ए-42011/2/2016-सीएल]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : इस अनुसूची को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 35) जो 1 सितंबर, 2016 को प्रवृतन में आया, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और प्रतिस्थापन से पूर्व अनुसूची में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था –

- का.आ. 404(अ), तारीख 5 जून,1989;
- का.आ. 263(अ), तारीख 29 मार्च, 1994;
- का.आ. 36(अ), तारीख 27 जनवरी, 1999;
- का.आ. 397(अ), तारीख 10 मई, 2001;
- का.आ. 1742(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2006;
- का.आ. 2280(अ), तारीख 25 सितंबर, 2008; और
- का.आ. 2469(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2010।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O. 1022(E).—The following draft notification further to amend the Schedule to the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) (hereinafter referred to as the Act), which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4 of the Act, is hereby notified, as required by sub-section (1) of the section 18, giving the notice of its intention to do so, by like notification, by addition or omission of certain hazardous occupation or processes in the said Schedule and for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of three months from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001;

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

I. In the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), in the Schedule, for the brackets, figures and words -

“ (1) Mines.

(2) Inflammable Substances or Explosives.

(3) Hazardous Process.”,

The following shall be substituted, namely:-

“PART A

Hazardous occupation and processes in which adolescents are prohibited to work and children are prohibited to help

(1) **Mines and Collieries** (underground and underwater) and related work in, -
- (a) stone quarries;
- (b) brick kilns;
- (c) preparatory and incidental processes thereof including extraction, grinding, cutting, splitting, polishing and handling of stones or lime or slate or silica or any other such element or mineral extracted from the earth; oropen pit mines.

(2) **Inflammable substances and explosives** such as -
- (a) fire crackers;
- (b) for manufacture, storage, sale, loading, unloading or transport of explosives as defined under the Explosives Act, 1884 (4 of 1884);
- (c) work relating to manufacturing, handling, grinding, glazing, cutting, polishing, welding, moulding, electro-plating, or any other process involving inflammable substances; or
- (d) waste management of inflammable substances, explosives and their by-products.

(3) ‘Hazardous processes’ as specified in the First Schedule of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and mentioned below**:-**

List of Industries Involving hazardous processes:

(A). Ferrous Metallurgical Industries

(i) Integrated Iron and Steel;
(ii) Ferro-alloys ;
(iii) Special Steels

(B). Non-ferrous Metallurgical Industries: *Primary Metallurgical Industries, namely zinc, lead, copper, manganese and aluminium.*

(C). Foundries (ferrous and non-ferrous): *Castings and forgings including cleaning or smoothening or roughening by sand and shot blasting.*

(D). Coal (including coke) Industries:

(i) Coal, Lignite, Coke, similar other substance;
(ii) Fuel Cases (including Coal Gas, Producer Gas, Water Gas).

(E). Power Generating Industries.

(F). Pulp and paper (including paper products) Industries.

(G). Fertilizer Industries:

(i) Nitrogenous;
(ii) Phosphatic;
(iii) Mixed.

(H). Cement Industries: *Portland Cement (including slag cement, puzzolona cement and their products).*

(I). Petroleum Industries:

(i) Oil Refining;
(ii) Lubricating Oils and Greases.

(J). Petro-chemical Industries.

(K). Drugs and Pharmaceutical Industries: *Narcotics, Drugs and Pharmaceuticals.*

(L). Fermentation Industries (Distilleries and Breweries).

(M). Rubber (Synthetic Industries).

(N). Paints and Pigment Industries.

(O). Leather Tanning Industries.

(P). Electro-plating Industries.

(Q). Chemical Industries:

(i) Coke Oven By-products and Coaltar Distillation products;
(ii) Industrial Gases (nitrogen, oxygen, acetylene, argon, carbon dioxide, hydrogen, sulphur dioxide, nitrous oxide, halogenated hydrocarbon, ozone, similar other gas;
(iii) Industrial Carbon;
(iv) Alkalies and Acids;
(v) Chromates and dichromates;
(vi) Lead and its compounds;
(vii) Electro chemicals (metallic sodium, potassium and magnesium, chlorates, per chlorates and peroxides);
(viii) Electro thermal produces (artificial abrasive, calcium carbide);
(ix) Nitrogenous compounds (cyanides, cyanamides, and other nitrogenous compounds);
(x) Phosphorus and its compounds;
(xi) Halogens and Halogenated compounds (chlorine, flourine, bromine and iodine);
(xii) Explosives (including industrial explosives and detonators and fuses).

(R). Insecticides, Fungicides, Herbicides and other Pesticides Industries.

(S). Synthetic Resin and Plastics.

(T). Man-made Fiber (Cellulosic and non-cellulosic) industry.

(U). Manufacture and repair of electrical accumulators.

(V). Glass and Ceramics.

(W). Grinding or glazing of metals.

(X). Manufacture, handling and processing of asbestos and its products.

(Y). Extraction of oils and fats from vegetable and animal sources.

(Z). Manufacture, handling and use of benzene and substances containing benzene.

(AA). Manufacturing processes and operations involving carbon disulphide.

(BB). Dyes and dyestuff including their intermediates.

(CC). Highly flammable liquids and gases.

(4) Process involving handling and processing of hazardous and toxic chemicals as specified in Part-II of the Schedule I to the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.
(5) Work in slaughter houses and abattoirs;
(6) Work involving exposure to radioactive substances and incidental processes therein;
(7) Ship breaking;
(8) Salt Mining or Salt Pan Work;

(9) Hazardous processes as specified in Schedule IX to the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998.

PART B

List of occupations and processes where children are prohibited to help in family or family enterprises (in addition to Part A)

Occupations (Non- Industrial Activity)

Any occupation concerned with -

1. transport of passengers, goods or mails by railways; or
2. cinder picking, clearing of an ash pit or building operation in the railway premises; or
3. work in a catering establishment at a railway station, involving the movement of a vendor or any other employee of the establishment from the one platform to another or in to or out of a moving train; or
4. work relating to the construction of a railway station or with any other work where such work is done in close proximity to or between the railway tracks; or
5. a port authority within the limits of any port; or
6. work relating to selling of crackers and fireworks in shops with temporary licenses; or
7. automobile workshops and garages; or
8. handloom and power loom industry; or
9. plastic units and fiberglass workshops; or
10. domestic workers or servants; or
11. dhabas (roadside eateries), restaurants, hotels, motels, resorts; or
12. diving; or
13. circus; or
14. caring of Elephant; or
15. power driven bakery machine; or
16. shoe making.

Processes (Industrial Activity)

1. Beedi-making;
2. Carpet-weaving including preparatory and incidental process thereof;
3. Cement manufacture, including bagging of cement;
4. Cloth printing, dyeing and weaving including processes, preparatory and incidental thereto;
5. Mica-cutting and splitting;
6. Shellac manufacture;
7. Soap manufacture;
8. Wool-cleaning;
9. Building and construction industry including processing and polishing of granite stones; hauling and stacking materials; carpentry; masonry;
10. Manufacture of slate pencils (including packing);

11. Manufacture of products from agate;
12. Manufacturing processes using toxic metals and substances, such as lead, mercury, manganese, chromium, cadmium, benzene, pesticides and asbestos;
13. Cashew and cashew nut descaling and processing;
14. Metal cleaning, photo engraving and soldering processes in electronic industries;
15. 'Aggarbatti' manufacturing;
16. Automobile repairs and maintenance including processes incidental thereto namely, welding, lathe work, dent beating and painting;
17. Brick kilns and roof tiles units;
18. Cotton ginning and processing and production of hosiery goods;
19. Detergent manufacturing;
20. Fabrication workshops (ferrous and non ferrous);
21. Gem cutting and polishing;
22. Handling of chromite and manganese ores;
23. Jute textile manufacture and coir making;
24. Lime kilns and manufacture of lime;
25. Lock making;
26. Manufacturing processes having exposure to lead such as primary and secondary smelting,welding and cutting of lead-painted metal constructions, welding of galvanized or zincsilicate, polyvinyl chloride, mixing (by hand) of crystal glass mass, sanding or scraping of leadpaint, burning of lead in enamelling workshops, lead mining, plumbing, cable making, wiringpatenting, lead casting, type founding in printing shops. shot making and lead glass blowing;
27. Manufacture of cement pipes, cement products and other related work;
28. Manufacture of glass, glass ware including bangles, florescent tubes, bulbs and other similar glass products;
29. Manufacture of dyes and dye stuff;
30. Manufacturing or handling of pesticides and insecticides;
31. Manufacturing or processing and handling of corrosive and toxic substances, metal cleaning and photo engraving and soldering processes in electronic industry.
32. Manufacturing of burning coal and coal briquettes;
33. Manufacturing of sports goods involving exposure to synthetic materials, chemicals and leather;
34. Oil expelling and refinery;
35. Paper making;
36. Potteries and ceramic industry;
37. Polishing, moulding, cutting, welding and manufacturing of brass goods in all forms;
38. Processes in agriculture where tractors, threshing and harvesting machines are used and chaff cutting;
39. Saw mill – all processes;
40. Sericulture processing;
41. Skinning, dyeing and processes for manufacturing of leather and leather products;
42. Tobacco processing including manufacturing of tobacco, tobacco paste and handling of tobacco in any form;
43. Tyre making, repairing, re-treading and graphite beneficiation;
44. Utensils making, polishing and metal buffing;
45. 'Zari' making and processes involving the use of *zari* (all processes);
46. Graphite powdering and incidental processing;

47. Grinding or glazing of metals;

48. Diamond cutting and polishing;

49. Rag picking and scavenging;

50. Mechanized fishing;

51. Food Processing;

52. Beverage Industry;

53. Cultivating, sorting, drying and packaging in Spice industry;

54. Timber handling and loading;

55. Mechanical Lumbering;

56. Warehousing;

57. Massage parlours, gymnasiums, or other recreational centres, or in medical facilities;

58. Operations involving the following classes of dangerous machines:

    (a) Hoists and Lifts;
    (b) Lifting machines, chains, ropes and lifting tackles;
    (c) Revolving machinery;
    (d) Power presses;
    (e) Machine tools used in the metal trades;
    (f) Guillotine machines.

59. Printing as in sub-clause (iv) of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) i.e. composing types for printing, printing by letter press, lithography, photogravure or other similar process or book-binding.".

II. This notification shall come into force on the date of its final publication in the official Gazette.

[F. No. A-42011/2/2016-CL]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note : The Schedule was substituted by the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 (35 of 2016) which came into force with affect from the 1st day of September, 2016 and before substitution, the Schedule was amended by –

(i) S.O. 404(E), dated, the 5th June, 1989

(ii) S.O. 263(E), dated, the 29th March, 1994;

(iii) S.O. 36(E), dated, the 27th January, 1999;

(iv) S.O. 397(E), dated, the 10th May, 2001;

(v) S.O. 1742(E), dated, the 10th October, 2006;

(vi) S.O. 2280(E), dated, the 25th September, 2008; and

(vii) S.O. 2469(E), dated, the 8th October, 2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.03 13:07:38 +05'30'